हर वोट कीमती ● हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

नगरीय निकाय एवं पंचायतों की मतदाता सूची

वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2022

प्रशिक्षण दिनांक 14.01.2022

विधिक प्रावधान

नगरीय निकायों के लिए :–

- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा–14.
- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–32.
- मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम–8.

पंचायत के लिए :–

- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज, अधिनियम 1993 की धारा–5.
- मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–14.

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण– 2022

- मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2022 हेतु दिनांक 01.01.2022 की संदर्भ तिथि के आधार पर मतदाता सूची तैयार की जाना है.
- वार्षिक पुनरीक्षण 2022 के लिए प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने एवं उसे प्रकाशित कर दावा आपत्ति प्राप्त करने के पूर्व प्रारम्भिक तैयारी हेतु प्रक्रिया एवं समय सारणी घोषित की गई है.
- मतदाता सूची तैयार करने हेतु आयोग द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल को राज्य स्तरीय एजेन्सी (SLA) नियुक्त किया गया है.

वार्षिक पुनरीक्षण– 2022 की तैयारी हेतु निर्देश

- वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2022 की तैयारी हेतु आयोग द्वारा :–
  - **नगरीय निकाय** – क्रमांक एफ–52NN–01/2022/पांच/09 दिनांक 12.01.2022.
  - **पंचायत** – क्रमांक एफ–35/PN-01/2022/तीन/09 दिनांक 12.01.2022.

  के माध्यम से निर्देश एवं कार्यक्रम जारी किया गया है.
- उपरोक्त पत्रों में वर्णित निर्देशों का कंडिकावार गहन अध्ययन किया जाना आवश्यक है.

स्थानीय निकायों की मतदाता सूची का आधार

- भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रवार तैयार होती है.
- स्थानीय निकायों में –
  - नगरीय निकायों की मतदाता सूची वार्डवार.
  - पंचायतों की मतदाता सूची ग्राम पंचायतवार तैयार होती है.
- भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं को स्थानीय निकाय की क्षेत्रीय सीमाओं में विभक्त कर नगरीय निकाय/पंचायत की मतदाता सूची तैयार की जाती है.

स्थानीय निकायों की क्षेत्रीय सीमाएँ

- वर्तमान में समस्त नगरीय निकायों की दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार है. अब दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में इसका पुनरीक्षण किया जाना है.
- पूर्व से गठित नगरीय निकायों का क्षेत्र विस्तार अथवा नवीन नगरीय निकायों का गठन एवं वार्ड विभाजन को आधार मानते हुए मतदाता सूची तैयार की जावेगी.
- पंचायत के मामले में ग्राम पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के समय विद्यमान परिसीमन के अनुसार मतदाता सूची तैयार की जावेगी.

ग्राम पंचायतों का अद्यतन प्रभावशील परिसीमन

- आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 03.03.2021 को किया गया था.
- मध्यप्रदेश शासन **अध्यादेश क्रमांक 14 सन् 2021** के प्रभावशील होने के फलस्वरूप परिसीमन के आधार पर मतदाताओं को यथोचित स्थान पर प्रविष्ट किये जाने हेतु संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाकर दिनांक 06.12.2021 को अंतिम प्रकाशन किया गया.
- इसी परिसीमन एवं मतदाता सूची के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष 2021–22 घोषित किया गया.

ग्राम पंचायतों का अद्यतन प्रभावशील परिसीमन

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा **दिनांक 26.12.2021 को अध्यादेश क्रमांक 14 सन् 2021 वापस** लिये जाने से पंचायतों का परिसीमन पुनः प्रभावित हुआ, इसी के दृष्टिगत प्रचलित निर्वाचन प्रक्रिया को निरस्त किया गया.
- आयोग द्वारा दिनांक 29.12.2021 को मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2022 हेतु कार्यक्रम जारी किया गया.
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 30.12.2021 को **अध्यादेश क्रमांक 15 सन् 2021 प्रवृत्त** किया गया.
- उक्त अध्यादेश के प्रभावशील होने से पंचायतों की पूर्व स्थिति बहाल हो गई है.

स्थानीय निकायों की मतदाता सूची

- भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में प्रकाशित मतदाता सूची आधार होगी.
- SLA से प्राप्त जानकारी अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में किये गये सतत् पुनरीक्षण एवं वार्षिक पुनरीक्षण के दौरान :–

o	परिवर्धन	–	15,18,567
o	संशोधन	–	6,57,606
o	निरसन	–	9,65,449
	कुल	**–**	**31,41,622**

वार्षिक पुनरीक्षण 2022 की तैयारी
(प्रक्रिया एवं समय सारणी)

कार्यवाहियाँ	समयसीमा
नियुक्ति एवं प्रशिक्षण.	14.01.2022 से 17.01.2022 तक
दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में प्रकाशित भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना.	17.01.2022
कंट्रोल टेबल की चैकलिस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना.	20.01.2022

वार्षिक पुनरीक्षण 2022 की तैयारी
(प्रक्रिया एवं समय सारणी)

कार्यवाहियाँ	समयसीमा
कंट्रोल टेबल की चैकलिस्ट की प्रति मतदान केन्द्रों के परीक्षण एवं युक्तियुक्तकरण हेतु निकायों को सौंपना.	21.01.2022
नगरीय निकाय/पंचायत स्तर पर परीक्षण उपरांत युक्तियुक्तकरण का प्रस्ताव रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंपना.	22.01.2022
प्रस्ताव का परीक्षण, उन्हें अंतिम किया जाना एवं कंट्रोल टेबल में यथा संशोधित करना.	24.01.2022

वार्षिक पुनरीक्षण 2022 की तैयारी
(प्रक्रिया एवं समय सारणी)

कार्यवाहियाँ	समयसीमा
कंट्रोल टेबल का परीक्षण एवं संशोधन उपरांत यथोचित हस्ताक्षर करना.	27.01.2022
कंट्रोल टेबल का डिजिटल हस्ताक्षर से वेरिफिकेशन.	28.01.2022
शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची ERMS से जनरेट कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना **(वेण्डर द्वारा)**.	01.02.2022

वार्षिक पुनरीक्षण 2022 की तैयारी
(प्रक्रिया एवं समय सारणी)

कार्यवाहियाँ	समयसीमा
शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची मार्किंग हेतु प्राधिकृत कर्मचारी को उपलब्ध कराना.	03.02.2022
शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची में मार्किंग कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना.	07.02.2022
उपरोक्त सूचीयों में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा की गई मार्किंग की रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जाँच एवं वेरिफिकेशन.	11.02.2022

वार्षिक पुनरीक्षण 2022 की तैयारी
(प्रक्रिया एवं समय सारणी)

कार्यवाहियाँ	समयसीमा
शिफ्टिंग संबंधी विवादों के निराकरण के लिए बैठक का आयोजन करना और बैठक का कार्यवाही विवरण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना.	14.02.2022
शिफ्टिंग संबंधी विवादों के निराकरण के लिए आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण अनुसार यथोचित कार्यवाही करना.	15.02.2022
मार्कड शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची ERMS में प्रविष्टि हेतु वेण्डर को सौंपना.	17.02.2022

वार्षिक पुनरीक्षण 2022 की तैयारी

(प्रक्रिया एवं समय सारणी)

कार्यवाहियाँ	समयसीमा
शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही ERMS के माध्यम से पूर्ण कर चैकलिस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना.	18.02.2022
चैकलिस्ट की जाँच करना और जाँच उपरांत परिलक्षित त्रुटियों को सुधारने के लिए चैकलिस्ट वेण्डर को वापस करना.	21.02.2022
त्रुटियों को सुधार कर एकीकरण किया जाना.	

मतदाता सूची की तैयारी हेतु चरण

- आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 02 चरणों में गतिविधियाँ संचालित की जाना है.
- **प्रथम चरण** – कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन, अपडेशन और मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण.
- **द्वितीय चरण** – मतदाताओं की शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन का वेरिफिकेशन तथा चैकलिस्ट की जाँच एवं त्रुटियों का वेरीफिकेशन.

Control Table Checklist of Rural Bodies

13/03/2018

जिले का नाम : रायसेन

विकासखण्ड का नाम : ओबेदुल्लागंज

पंचायत क्र.	पंचायत का नाम	वार्ड नं.	गांव का नाम	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र का नाम
1	बरखेडा सेतू	1	बरखेडा सेतू	1	शा.प्रा. शाला भवन बरखेंडा सेतु
		2	बरखेडा सेतू	1	शा.प्रा. शाला भवन बरखेंडा सेतु
		3	बरखेडा सेतू	1	शा.प्रा. शाला भवन बरखेंडा सेतु
		4	बरखेडा सेतू	1	शा.प्रा. शाला भवन बरखेंडा सेतु
		5	बरखेडा सेतू	2	शा.मा.शाला भवन बरखेंडासेतु
		6	बरखेडा सेतू	2	शा.मा.शाला भवन बरखेंडासेतु
		7	बरखेडा सेतू	2	शा.मा.शाला भवन बरखेंडासेतु
		8	तूमडा खेडा	3	शा.प्रा.शाला भवन तूमडाखेंडा
		9	तूमडा खेडा	3	शा.प्रा.शाला भवन तूमडाखेंडा
		10	तूमडा खेडा	3	शा.प्रा.शाला भवन तूमडाखेंडा
		11	तूमडा खेडा	3	शा.प्रा.शाला भवन तूमडाखेंडा
		12	तूमडा खेडा	3	शा.प्रा.शाला भवन तूमडाखेंडा
		13	झिरी बहेडा	4	शा.मा.शाला भवन झिरी बहेडा
		14	झिरी बहेडा	4	शा.मा.शाला भवन झिरी बहेडा
		15	झिरी बहेडा	4	शा.मा.शाला भवन झिरी बहेडा
		16	झिरी बहेडा	4	शा.मा.शाला भवन झिरी बहेडा
		17	झिरी बहेडा	4	शा.मा.शाला भवन झिरी बहेडा
		18	झिरी बहेडा	4	शा.मा.शाला भवन झिरी बहेडा
		19	झिरी बहेडा	4	शा.मा.शाला भवन झिरी बहेडा
		20	ठीकरी	1	शा.प्रा. शाला भवन बरखेंडा सेतु
2	इटाया कला	1	इटाया कला	29	पंचा.भवन इटायाकलां
		2	इटाया कला	29	पंचा.भवन इटायाकलां
		3	इटाया कला	29	पंचा.भवन इटायाकलां
		4	इटाया कला	29	पंचा.भवन इटायाकलां
		5	इटाया कला	29	पंचा.भवन इटायाकलां
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	पंचा.भवन इटायाकलां

Control Table Checklist of Urban Bodies

जिले का नाम : रायसेन **नगर पालिका परिषद का नाम : रायसेन**

वार्ड नं.	वार्ड का नाम	भाग क्र.	मतदान केन्द्र क्र व नाम	मोहल्ला क्र.	मोहल्ले का नाम
1	श्री राम	1	1 - शा.मा.शा. भवन नरापुरा कमरा नं 1	1	पीपलखेड़ा
				2	नरापुरा
				3	खटीकपुरा
				4	पक्की मस्जिद
		2	2 - शा.मा.शा.भवन नरापुरा कमरा नं. 2	1	पीपलखेडा
				2	नरापुरा
				3	खटीक पुरा
				4	पक्की मस्जिद
2	अमीर भाई	1	3 - शा.प्रा.शा.भवन नरापुरा रायसेन	1	जोशीपुरा
				2	मालीपुरा
				3	बाबड़ीपुरा
				4	कच्ची मस्जिद
3	महावीर	1	4 - सामुदायिक भवन मढईपुरा रायसेन	1	मढ़ईपुरा
				2	अथाईपुरा
				3	फौजदारपुरा
		2	5 - ब्लड बैक जिला चिकित्सालय रायसेन	1	मढईपुरा
				2	अथाईपुरा
				3	फौजदारपुरा
4	नेहरू	1	6 - नवीन हाई भ.उ.भाग कलेक्ट्रेट कालोनी रायसेन	1	पुलिस लाईन
				2	गोपालपुर
				3	कलेक्ट्रेट कालोनी
				4	96 क्वार्टर कालौनी
				5	शरीफ नगर
				6	सॉईबिहार कालौनी
				7	भारत नगर कालौनी
				8	नवाबपुर कालौनी
		2	7 - नवीन हाई से. द.भाग कलेक्ट्रेट कालोनी रायसेन	1	पुलिस लाईन
				2	गोपालपुरा

Control Table Checklist

जिले का नाम :– रायसेन   नगर पालिका परिषद का नाम :–मण्डीदीप

वार्ड क्र0	वार्ड नाम	भाग क0	मोहल्ला क.	मोहल्ले का नाम	भाग में मतदाताओं की संख्या	वार्ड में कुल मतदाता
1	महावीर वार्ड	1	1	दीपनगर, सेठ फूलचंद नगर, शक्ति नगर, बगीचा कॉलोनी	1157	
		2	1	महावीर कॉलोनी, स्टेशन रोड़, शक्ति नगर	1131	2288
2	बाल गंगाधर तिलक वार्ड	1	1	खिड़िया मोहल्ला	1167	
		2	1	होली मोहल्ला, खिड़िया मोहल्ला	1148	2315
3	राजा भोज वार्ड	1	1	हरिजन मोहल्ला, गाँधी चौक	752	
		2	1	गणेश चौक, पाल मोहल्ला	879	
		3	1	पाल मोहल्ला	987	2618
4	इंदिरा गाँधी वार्ड	1	1	मेन मार्केट, स्टेशन रोड, खटीक मोहल्ला	1214	
		2	1	पुरानी हवेली, विमान चौक, लखेरापुरा, भोई मोहल्ला, खिड़िया मोहल्ला	1136	2350
5	दुर्गा चौक	1	1	दुर्गा चौक, मेन मार्केट,	830	
		2	1	विवेक जागृति रोड	1135	
		3	1	कुआ मोहल्ला, काछी मोहल्ला दरगाह	1157	3122
6	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड	1	1	विवेक जागृति रोड, गाँधी चौक, गणेश मंदिर के पीछे वाला क्षेत्र	657	
		2	1	संतोष नगर, झुग्गी क्षेत्र रेल्वे लाईन के पास	998	
		3	1	गिट्टी फोड़ा मोहल्ला	893	2548
7	महात्मा गांधी वार्ड	1	1	गिट्टी फोड़ा मोहल्ला, स्टेशन रोड	1040	
		2	1	झुग्गी क्षेत्र	1093	2133
8	लाल बाहदुर शास्त्री वार्ड	1	1	रामनगर	871	
		2	1	संजय नगर	1108	
		3		प्रेमनगर, रामनगर	799	2778
9	डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड	1	1	डिस्पेन्सरी, शा0 स्कूल, पुलिस कालोनी, बडी मस्जिद	1129	
		2	1	लवकुश नगर, रविदास मंदिर	973	2102
10	डॉ. भीमराव अम्बेडर वार्ड	1	1	रेल्वे कालोनी, शान्ति नगर, झुग्गी क्षेत्र, बगीचा कॉलोनी, गिट्टी फोड़ा मोहल्ला, खेल मैदान, भोले बाबा कुटी	1229	

Control Table Checklist

जिले का नाम :- रायसेन नगर पालिका परिषद का नाम :-मण्डीदीप

क्र0	वार्ड नाम	भाग क्र0	मोहल्ला क्र.	मोहल्ले का नाम	भाग में मतदाताओं की संख्या	वार्ड में कुल मतदाता
22	डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम	1	1	ग्राम मंडदेहरी, रालसन एवं अनंत कॉलोनी	1076	
		2	1	पटेल नगर	1182	2258
23	शहिद भगत सिंह वार्ड	1	1	रायल पार्क सिटी, आकांशा नगर, महिमा धाम एवं श्री रामनगर	636	
		2	1	राम नगर कालोनी मण्डी क्षेत्र	1004	
		3	1	राम नगर शीतल होम्स आकार विकार, गुरमेहर, शारदा नगर, शीतल सिटी	1111	2751
24	शहिद मंगल पाण्डे वार्ड	1	1	बिंदिया धाम, कुआ मोहल्ला	1132	
		2	1	गंगाधाम,स्कवायर कालोनी	987	
		3	1	पिपलिया गज्जु, मूण्डला खेजडी	977	3096
25	तात्या टोपे वार्ड	1	1	सिमराई	1202	
		2	1	इटाया कला, हमीरी, खामखेडा	850	2052
26	शहिद रामप्रसाद बिस्मिल वार्ड	1	1	खनपुरा	602	
		2	1	सराकिया–1	856	
		3	1	सराकिया–2	742	2200
		68			66026	66026

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
नगरपालिका निर्वाचन मंडीदीप
तहसील गौहरगंज जिला–रायसेन म0प्र0

आधार पत्रक

क्रमांक	भाग संख्या वि.स.01.01.2016	क......से.........तक	कुल संख्या	वार्ड क्र.	रिमार्क
1	17	01 से 608	608	1	
2	18	01 से 699	699	1	
3	19	01 से 1003	981	1	क्र. 44,116, 226, 380, 628, 629, 653, 654, 709, 724,725, 742, 743, 789, 793, 795, 821, 823, 828,829,843,881
4	24	01 से 1142	1136	4	क्र.8,28,34,38,476,477 निरसन
5	25	01 से 1258	1214	4	क्र.35, 36,57,60,61,110,141,143,161,162,170,215,255,256,287,321,334,360,361,411,412,450,523,545,562,569,588,602,623,702,703,704,793,800,867,882,883,987,995,1012,1027,1050,1076,108निरसन
6	26	01 से 1160	1142	5	3,268,269,272,273,367,368,369,403,402,404,405,406,407,422,851,929,930 निरसन
7	27	01 से 958	958	6	
8	28	01 से 623	620	6	98,133,577 निरसन
9	29	01 से 657	657	7	

कंट्रोल टेबल का परीक्षण

- कंट्रोल टेबल में नगरीय निकाय के मामले में वार्ड का नाम, मतदान केन्द्र का नाम एवं मोहल्ला का नाम अंकित है तथा पंचायत के मामले में ग्राम पंचायत का नाम तथा वार्ड क्रमांक अंकित है.
- यदि कंट्रोल टेबल में कोई परिवर्तन नही है तो इसे वेरीफाई करें.
- यदि परिसीमन से पंचायत/नगरीय निकाय की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, तो कंट्रोल टेबल को अघतन करें.

पंचायत के मामले में अद्यतन प्रभावशील परिसीमन के आधार पर कार्यवाही की जावे.

कंट्रोल टेबल का परीक्षण

- यदि परिसीमन में कोई नया वार्ड बना है या वार्ड की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन के अनुसार वार्ड क्रमांक/मोहल्ला का नाम अंकित कर कंट्रोल टेबल को अद्यतन किया जावेगा.
- संशोधित कंट्रोल टेबल के आधार पर आधार पत्रक तैयार करना, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मतदाताओं को कहाँ भेजा जाना है.
- आधार पत्रक के मान से वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं को सुसंगत भाग में शिफ्ट करना.

कंट्रोल टेबल का परीक्षण

उदाहरण :–

एक नगरीय निकाय X में वर्ष 2021 में परिसीमन होने से ग्राम पंचायत Y को सम्मिलित किया गया और एक नया वार्ड–19 बनाया गया. इस स्थिति में नगरीय निकाय की कंट्रोल टेबल में सुधार कर नया वार्ड क्रमांक/भाग क्रमांक/मोहल्ला का नाम अंकित किया जाएगा. वर्तमान मतदाता सूची में इसी अनुरूप चिन्हांकन कर मतदाताओं को शिफ्ट करेंगें.

कंट्रोल टेबल का परीक्षण

- कंट्रोल टेबल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ERO के Digital Signature से ही हो सकेगा.
- कंट्रोल टेबल के वेरीफिकेशन उपरांत, विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूची के आधार पर शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरीफिकेशन सूची और संशोधन वेरीफिकेशन सूची जनरेट की जावेगी.

परिवर्धन सूची अनुसार मतदाताओं की शिफ्टिंग

- विधान सभा की अद्यतन मतदाता सूची में परिवर्धन सूची के मतदाताओं के नाम पर –
  - **नगरीय निकाय** के मामले में – वार्ड क्रमांक/भाग क्रमांक/मोहल्ला क्रमांक अंकित कराया जाए.
  - **पंचायत** के मामले में – ग्राम पंचायत का नाम/वार्ड क्रमांक/भाग क्रमांक अंकित कराया जाये.

- अब इन मतदाताओं को सुसंगत भाग पर शिफ्ट कर दिया जावे.

विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए सूची

शिफ्टिंग सूची

विधानसभा : 135 - हरदा   भाग संख्या : 1   शिफ्टिंग के लिए मार्किंग

मतदाता क्रमांक	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	क्षेत्र U R	वार्ड नंबर पंचायत क्र व नाम	भाग संख्या वार्ड नंबर	मोहल्ला क्र.
अनुभाग : 1-साल्याखेड़ी , ग्राम-साल्याखेंडी , 461331											
83	5	गोपाल भावरे	पिता भीमसिंह	M	22	WMQ1034875	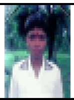				
84	5	सुनीता	पति राकेश	F	20	WMQ1110337					
166	12	रोशनी	पिता बुधा	F	23	WMQ1034883					
167	12	सुनील	पिता बुध्दा	M	19	WMQ1051051					
212	16	राजेश	पिता कल्लुसिंह	M	25	WMQ1034867					
323	35	रजनी	पिता रामभरोस	F	20	WMQ1100619					
385	43	ममता	पति राकेश	F	19	WMQ1107556					
435	48	संगीता	पति राजेश	F	32	WMQ1051069					
439	48	संगीता	पति संदिप	F	24	WMQ1051077	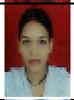				
444	49	आनंद	पिता हरि	M	19	WMQ1100627					

परिवर्धन सूची अनुसार मतदाताओं की शिफ्टिंग

- जब शिफ्टिंग सूची में दर्ज समस्त मतदाताओं के नाम के आगे मार्किंग हो जावेगी और उन्हें शिफ्ट करा लिया जावेगा तभी ERMS से प्रारूप मतदाता जनरेट होगी. यदि एक भी मतदाता शिफ्टिंग से शेष बचता है तो प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं होगी.

विलोपन सूची अनुसार मतदाताओं की मार्किंग

- इसी प्रकार विलोपन सूची के मतदाताओं का वेरीफिकेशन करना, जिससे उन्हें नगर पालिका/पंचायत की मतदाता सूची से हटाया जा सके.
- विलोपन वेरीफिकेशन सूची में प्रत्येक मतदाता के नाम के आगे खाली स्थान बना है जिस पर ✓ या X मार्क करना है.
- यदि आप ✓ मार्क करते हैं तो इसका आशय है कि आप विधानसभा की विलोपन सूची में दर्ज मतदाता को नगर पालिका/पंचायत की सूची से भी विलोपित करना चाहते हैं.

विलोपन सूची अनुसार मतदाताओं की मार्किंग

- X तभी मार्क करेंगें, जब विधानसभा की मतदाता सूची में विलोपित मतदाता की जानकारी नगर पालिका/पंचायत के मतदाता से भिन्न हो. अर्थात वे अलग अलग मतदाता हों.
- **जब X मार्क करेंगें तो उसका कारण भी अंकित करना होगा.**

विलोपन सूची अनुसार मतदाताओं की मार्किंग

– ध्यान देने योग्य तथ्य –

विधानसभा की मतदाता सूची के समस्त विलोपित मतदाताओं को नगर पालिका/पंचायत की सूची से हटाया जाना है. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह निर्णय नहीं लेंगे कि उन्हें विधानसभा की सूची से गलत तरीके से हटाया गया है.

ऐसे मामलों को दावे आपत्ति के समय विचारण में लिया जावेगा.

विलोपन सूची अनुसार मतदाताओं की मार्किंग

जब विलोपन वेरीफिकेशन सूची में दर्ज समस्त मतदाताओं के नाम के आगे मार्किंग हो जावेगी तभी ERMS से प्रारूप मतदाता जनरेट होगी. यदि एक भी मतदाता मार्किंग से शेष बचता है तो प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं होगी.

Click on Tools to convert files to PDF.

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची

विलोपन - वेरिफिकेशन सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा | जिला : हरदा | वार्ड संख्या : 2 , भाग संख्या : 2

विधानसभा में विवरण					नगरीय निकाय में विवरण						
निर्वाचक का नाम / ईपिक संख्या	पिता/पति का नाम / लिंग	आयु	विलोपन का कारण	फोटो	मतदाता क्र. / ईपिक संख्या	निर्वाचक का नाम / लिंग	पिता/पति का नाम / आयु	गृह संख्या	फोटो	सत्यापन मार्किंग (√ / X)
शेखअब्दुलसत्तार BYS4566154	पिता शेखखुन्नु M	63	Expired		120 BYS4566154	शेखअब्दुलसत्तार M	पिता शेखखुन्नु 62	93		☐

कुल संख्या :	1

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची

संशोधन - वेरिफिकेशन सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा | **जिला : हरदा** | **वार्ड संख्या : 1 , भाग संख्या : 1**

विधानसभा में विवरण							नगरीय निकाय में विवरण								
निर्वाचक का नाम	ईपिक संख्या	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	गृह संख्या	फोटो	मतदाता क्र.	निर्वाचक का नाम	ईपिक संख्या	लिंग	पिता/पति का नाम	आयु	गृह संख्या	फोटो	सत्यापन मार्किंग (√ / X)
अंगूरी	MP/28/227/042086	पति वद्रीप्रसाद	F	49			84	अंगूरी	MP/28/227/042086	F	पति वद्रीप्रसाद	48	14		☐
विमला	MP/28/227/042087	पति मनोरीलाल	F	56			87	विमला	MP/28/227/042087	F	पति मनोरीलाल	55	16		☐
सावित्री	MP/28/227/042268	पति विजय	F	49			93	सावित्री	MP/28/227/042268	F	पति विजय	48	17		☐
सत्यनारायण	MP/28/227/042137	पिता भीकू	M	56			292	सत्यनारायण	MP/28/227/042137	M	पिता भीकू	55	71		☐
प्रभा	MP/28/227/042338	पति वालाराम	F	51			498	प्रभा	MP/28/227/042338	F	पति वालाराम	50	125		☐
अशोक	BYS4680369	पिता मुख्त्यार	M	51		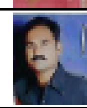	581	अशोक	BYS4680369	M	पिता मुख्त्यार	50	146		☐
चंद्रावती	BYS4680344	पति अशोंक	F	46		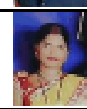	582	चंद्रावती	BYS4680344	F	पति अशोंक	45	146	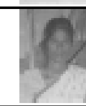	☐
अरविन्द	WMQ0789255	पिता तुलसीराम	M	22			624	अरविन्द	WMQ0789255	M	पिता तुलसीराम	21	150द	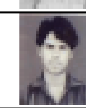	☐
जगदीश	BYS4660791	पिता किसन	M	49		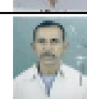	733	जगदीश	BYS4660791	M	पिता किसन	48	177		☐
पार्वती	BYS4457354	पति जगदीश	F	44		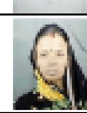	734	पार्वती	BYS4457354	F	पति जगदीश	43	177		☐

कुल संख्या :	10

संशोधन सूची अनुसार मतदाताओं की मार्किंग

- संशोधन वेरीफिकेशन सूची के मतदाताओं का वेरीफिकेशन करना, जिससे उन्हें संबंधित निकाय की सूची में भी विधानसभा की मतदाता सूची अनुसार शुद्ध किया जा सके.

- संशोधन वेरीफिकेशन सूची में प्रत्येक मतदाता के नाम के आगे खाली स्थान बना है जिस पर ✓ या X मार्क करना है.

संशोधन सूची अनुसार मतदाताओं की मार्किंग

- यदि आप ✓ मार्क करते हैं तो इसका आशय है कि आप विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाता की जानकारी को संबंधित निकाय की मतदाता सूची से मिलान होना पाते हैं.
- यदि दोनों मतदाता सूचियों के मतदाता का मिलान नही हो रहा है तो X मार्क किया जाएगा.
- सूची में एक भी मतदाता का वेरीफिकेशन न होने पर प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं होगी.

शिफ्टिंग संबंधी विवाद होने पर निराकरण

- विधानसभा की मतदाता सूची मतदान केन्द्रवार तैयार की जाती है तथा नगर पालिका की मतदाता सूची वार्डवार एवं पंचायत की मतदाता सूची ग्राम पंचायतवार तैयार होती है.

- ऐसा हो सकता है कि विधानसभा की मतदाता सूची के कुछ मतदाता ग्राम पंचायत क्षेत्र के और कुछ नगरीय क्षेत्र के हों. यदि ऐसी स्थिति में मतदाताओं की शिफ्टिंग को लेकर विवाद की सम्भावना हो सकती है.

शिफ्टिंग संबंधी विवाद होने पर निराकरण

- संबंधित पंचायत और नगरपालिका का प्रशासकीय क्षेत्राधिकार एक ही अनुविभागीय अधिकारी के पास होने पर विवाद का निपटारा वे ही करेंगें.
- यदि पंचायत और नगर पालिका का प्रशासकीय क्षेत्राधिकार अलग अलग अनुविभाग में हो तो विवाद का निपटारा जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा.
- नगर पालिक क्षेत्रों में एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र होतें हैं, इन क्षेत्रों में भी विवाद का निपटारा कलेक्टर के द्वारा किया जावेगा.

शिफ्टिंग संबंधी विवाद होने पर निराकरण

विवाद का निपटारा करते समय कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी –

1 संबंधित जनपद CEO

2 संबंधित CMO/आयुक्त नगर निगम

के साथ संयुक्त बैठक करेगा और तय करेगा के किस मतदाता को कहाँ शिफ्ट किया जाना है. इस बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार कर संबंधित ERO को भेजेगा.

शिफ्टिंग संबंधी विवाद होने पर निराकरण

- कुछ विधानसभा क्षेत्र दो जिलों में स्थित हैं :–
  - o क्षेत्र क्रमांक–78 एवं 82 *सीधी* एवं सिंगरौली.
  - o क्षेत्र क्रमांक–165 *आगर मालवा* एवं शाजापुर.
  - o क्षेत्र क्रमांक–193 *झाबुआ* एवं अलीराजपुर.
  - o क्षेत्र क्रमांक–23 *शिवपुरी* एवं दतिया.
  - o क्षेत्र क्रमांक–45 *निवाड़ी* एवं टीकमगढ़.
- इन जिलों में शिफ्टिंग संबंधित विवाद संयुक्त बैठक के उपरांत विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय वाले जिला कलेक्टर द्वारा निपटाया जायेगा.

त्रुटियों का सुधार एवं एकीकरण

- शिफ्टिंग संबंधी विवादों के निराकरण पश्चात् मार्कड शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची ERMS में प्रविष्टि हेतु वेण्डर को सौंपी जावे.
- वेण्डर से प्राप्त चैकलिस्ट की सूक्ष्मता से जाँच की जावे.
- जाँच उपरांत परिलक्षित त्रुटियों को सुधारने के लिए चैकलिस्ट पुनः वेण्डर को सौंपी जावे.
- अंत में समस्त त्रुटियों का परिमार्जन कर एकीकरण की कार्यवाही की जावे.
- प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन एवं दावे आपत्ति संबंधी कार्यवाही के निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे.

त्रिस्तरीय पंचायतों का परिसीमन वर्ष 2022

- मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र दिनांक 11.01.2022 द्वारा वर्ष 2022 में होने वाले पंचायतों के षष्ठम सामान्य निर्वाचन के पूर्व परिसीमन हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया है.
- शासन द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार :–
  - ग्राम पंचायत के गठन का अंतिम प्रकाशन – 03.02.2022
  - ग्राम पंचायत के वार्डों की अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन – 23.02.2022

परिसीमन उपरांत अपेक्षित कार्यवाही

- शासन स्तर से दिनांक 23.02.2022 को ग्राम पंचायत एवं उसके वार्डों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा.
- इसके उपरांत मतदाताओं को उनके क्षेत्र अनुसार यथास्थान प्रविष्ट किया जाकर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन एवं अनुवर्ती कार्यवाहियाँ की जावेगी.
- इस दौरान नगरीय निकायों अथवा उसके वार्डों की सीमाओं में भी परिवर्तन संभाव्य है. ऐसी स्थिति में नगरीय निकाय की मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के पूर्व क्षेत्रीय सीमाओं के आधार पर मतदाताओं को यथोचित स्थान पर प्रविष्ट किया जावे.

धन्यवाद